

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग


क्रमांक : प. 1(113)एमई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक : 24/8/17

आदेश

निश्चेतन विशिष्टता की पूर्व में दिनांक 20.07.2013 को आयोजित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशांषाओं को डॉ० शोभा उज्जवल एवं डॉ० राजेश शर्मा, आचार्य निश्चेतन के प्रकरण में रिव्यू किये जाने हेतु डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 14.08.2017 को आयोजित की गयी। कमेटी की अनुशांषा पर डॉ० शोभा उज्जवल एवं डॉ० राजेश शर्मा, को डीएसीपी के तहत पूर्व में दिनांक 01.04.2011 से आचार्य, निश्चेतन के पद पर पदोन्नति हेतु की गयी अनुशांषा को निरस्त कर उनको दिनांक 01.04.2012 से ~~से~~ आचार्य, निश्चेतन के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इस पदोन्नति पर डॉ० शोभा उज्जवल एवं डॉ० राजेश शर्मा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत पदस्थापित रहेंगे।


आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/ उदयपुर।
6. सहायक प्रोग्रामर को चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. सम्बन्धित चिकित्सक द्वारा मेडिकल कॉलेज बीकानेर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव